संख्या-491**/2023/2133/41-2023-22(बजट)/2023**

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह**,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक: **06** जुलाई**,** 2023

विषय:-जनपद गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में क्रियान्वित साउण्ड लाइट शो परियोजना के रिपेयर एवं एक वर्ष के सफल संचालन/रखाव हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-261/6-1-1(906)/2022-23**,** दिनांक 26.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से जनपद गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में क्रियान्वित साउण्ड लाइट शो परियोजना के रिपेयर एवं एक वर्ष के सफल संचालन/रखाव हेतु संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- जनपद गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में क्रियान्वित साउण्ड लाइट शो परियोजना के रिपेयर एवं एक वर्ष के सफल संचालन/रखाव हेतु टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इण्डिया लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग के शासनादेश सं0-27/2023/261/001-41-2023-22-Budget-2023, दिनांक 16.01.2023 द्वारा धनराशि रू0 59,59,009.00 + जी०एस०टी० (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय एवं धनराशि रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

3- तत्क्रम में सन्दर्भगत पत्र दिनांक 26.04.2023 द्वारा प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन रू0 68.79 लाख उपलब्ध कराते हुए संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नत प्रायोजना को विभागीय अप्रेजल समिति की दिनांक 17.06.2023 को सम्पन्न बैठक में धनराशि रू0 68.79 लाख मूल्यांकन किया गया।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पुनरीक्षित लागत धनराशि रू0 68.79 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 68.79 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

5- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-27/2023/261/001-41-2023-22-Budget-2023, दिनांक 16.01.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शासनादेश के शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे तथा उसका अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रायोजना निदेशक, टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इण्डिया लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6 व 8 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।